



Real Estate
Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/ F-21/ 3611

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2022

प्रति,

श्री मनीष अग्रवाल,
सम्प्रवर्तक,
मकान नं.-15, वार्ड नं.-18,
एल.आई.जी. कॉलोनी,
हरदा, (म.प्र.)-461331

विषय: परियोजना- रौनक विहार कॉलोनी, हरदा (P-HRD-21-2927) के संबंध में।

- 0 -

कृपया उपरोक्त विषय में प्राधिकरण के पत्र का स्मरण करें। पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए परियोजना - रौनक विहार कॉलोनी, हरदा (P-HRD-21-2927) हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो संलग्न है।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(निरज दुबे)
सचिव

म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

संशोधित

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-HRD-21-2927**

परियोजना का नाम : **रौनक विहार कॉलोनी, हरदा**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती **मनीष अग्रवाल** पुत्र श्री/श्रीमती **ओम प्रकाश**
अग्रवाल तहसील **हरदा** जिला **हरदा** राज्य **मध्यप्रदेश**
अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में :

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान

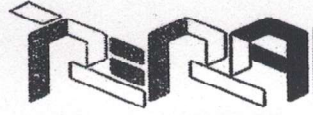
2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करवायेगा।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
 - पंजीयन दिनांक **06-10-2021** से प्रारंभ होकर दिनांक **01-03-2024** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
 - संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
 - संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9, 11, 14, 15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **29-07-2022**

स्थान : भोपाल

प्रमाणित प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



- 75 -

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

F 21-IR/A-05/2021

क्रमांक 777 रेरा/पंजी/2021/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12.10.21

श्री मनीष अग्रवाल
सम्प्रवर्तक, रौनक विहार कॉलोनी,
म०क्र० एन15, वार्ड न. 18,
एलआईजी कॉलोनी, हरदा 461 331

विषय- परियोजना- रौनक विहार कॉलोनी, हरदा (प्रोजेक्ट क्र.- 811365154218) के संबंध में।
संदर्भ- परियोजना में सुनवाई दिनांक 05-10-2021

-0-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 05-10-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना रौनक विहार कॉलोनी, हरदा सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र० P-HRD-21-2927 आवंटित किया गया है।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया गया है।

" संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 4(2)(C)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70 प्रतिशत निर्माण के खर्च एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोग कर सकेगा। संप्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा। "

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

(नीरज दुबे)

सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण.

nc